"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई 2012—आषाढ़ 25, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2012

अधिसूचना

फा. क्रमांक 5629/2073/21-ब/छ.ग./2012.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6473/डी-4302/21-ब/03, दिनांकित 09-10-2003, क्रमांक 6697/डी-2699/21-ब/04, दिनांकित 08-11-2004 एवं अधिसूचना क्रमांक 14288/डी-3149/21-ब/06, दिनांकित 21-12-2006 में धारा 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायाधीश को उसके समक्ष दर्शित कॉलम नं. (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए उपरोक्त उपधारा के खण्ड (क) तथा (ख) में वर्णित अपराधों से संबंधित प्रकरणों के अनन्य रूप से विचारण के लिए अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है :—

संशोधन

क्रमांक	विशेष न्यायालय	पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	कांकेर
2	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	कवर्धा
3	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	जशपुर

Raipur, the 6th July 2012

NOTIFICATION

F. No. 5629/2073/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), in consultation with the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in supersession of this department's notification No. 6473/D-4302/XXI-B/03, Dated 09-10-2003, No. 6697/D-2699/XXI-B/04, Dated 08-11-2004 and notification No. 14288/D-3149/XXI-B/06, Dated 21-12-2006 specifying the court of sessions for trial of offences under section 3 of Prevention of Corruption Act 1988, the State Government hereby appoints the sessions Judge specified in column No. (2) of the schedule below as Special Judge for the local area specified in corresponding entries in column No. (3) thereof for trial of the cases exclusively relating to offences mentioned in clause (a) and (b) of the said sub-section with effect from the date of issuing this notification :—

No. (1)	Special Courts (2)	Local Area/Sessions Division (3)
1	Additional Sessions Judge	Kanker
2	Additional Sessions Judge	Kawardha
3	Additional Sessions Judge	Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.